

have been separately dealt with in the Draft Fourth Five Year Plan. There are also a number of research programmes in fields such as agriculture, health & family planning and minerals and these have been covered in the Chapters relating to these sectors in the Draft Fourth Plan document. As regards overall coordination and research and development, the Committee on Science and Technology, reconstituted in 1968, advises the Government on the formulation and implementation of policies on science and technology and determination of national priorities. There is now no proposal to have a science plan as such for the country as a whole.

पाकिस्तान में भारतीय सम्पत्ति

- *374. श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
 श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
 श्री मा सुन्दर लाल :
 श्री बलराज मधोक :
 श्री श्रीम प्रकाश त्यागी :
 श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
 श्री देवेन सेन :

क्या बंदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 के पाकिस्तानी आक्रमण के समय पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान स्थित जिस भारतीय सम्पत्ति को जब्त कर लिया था उसको छुड़वाने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या ताशकन्द घोषणा के अन्तर्गत सरकार ने भारतीय सम्पत्ति को वापिस लेने के संबंध में प्रयास किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पाकिस्तान और रूस की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने उपर्युक्त सम्पत्ति को नीलाम कर दिया है या करने वाला है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है कि पाकिस्तान ऐसा न करे ?

बंदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) से (ग)। 1965 के संघर्ष के सिलसिले में अधिगृहीत संपत्ति की वापसी के प्रश्न को भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ सक्रिय रूप से उठाया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इस बारे में बातचीत करने के लिए बार-बार कहा है, जैसा कि ताशकन्द घोषणा के अनुच्छेद-आठ में सहमति प्रकट की गई है। पाकिस्तान ने अभी तक इस तरह की बातचीत करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। इस बारे में पाकिस्तान के हठ से सभी मित्र देशों को सूचित कर दिया गया है जिसमें सोवियत संघ भी शामिल है।

(घ) पाकिस्तान ने इसमें से कुछ संपत्ति नीलाम कर दी है और कुछ और नीलाम करने के लिए नोटिस जारी किया है।

(ङ) भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से लिखित रूप में और जबानी बार-बार यह कहा है कि वह भारतीय संपत्ति का नीलाम न करे क्योंकि वह काम गैर-कानूनी है। पाकिस्तान को चेतावनी दे दी गई है कि इस प्रकार के गैर-कानूनी ढंग से पाकिस्तान अथवा कोई और अधिकार पा लेने का अगर दावा करेगा तो भारत उसे स्वीकार नहीं करेगा।

Air-Space Violations by Pakistan

- *375. SHRI K. LAKKAPPA:
 SHRI A. SREEDHARAN:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the number of Air-space violations committed by Pakistan during the period from the 1st January, 1969 to 30th June, 1969;

(b) the figures for the corresponding period in the last year; and